भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 514

उत्तर देने की तारीख : 06.02.2024

दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं

514. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की वर्तमान संख्या का पता लगाने के लिए आकलन किया है और यदि हां, तो राज्य-वार दिव्यांगजनों की सूची कया है;

(ख) दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित दो नए संस्थानों की वर्तमान परिचालन स्थिति क्या है;

(ग) समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) की सूची और उनकी राज्य-वार वर्तमान परिचालन स्थिति क्या है; और

(घ) दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में संस्थानों और सीआरसी की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): जी, नहीं। सरकार दिव्यांगता संबंधी आंकड़ों के लिए वर्ष 2011 की जनगणना पर निर्भर है। दिव्यांगजनों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है ।

(ख): सरकार ने दो नए राष्ट्रीय संस्थानों नामत: भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी), नई दिल्ली और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर, मध्य प्रदेश की स्थापना की है।

आईएसएलआरटीसी अन्य परियोजनाओं और प्रशिक्षणों के साथ-साथ जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा इंटरप्रेटेशन (डीआईएसएलआई) में डिप्लोमा और भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण में डिप्लोमा (डीटीआईएसएल) आयोजित कर रहा है।

एनआईएमएचआर ने दिनांक 30.09.2019 से किराए की इमारत में काम करना शुरू कर दिया है। एनआईएमएचआर ने दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम नामत: समुदाय आधारित पुनर्वास में डिप्लोमा (डीसीबीआर) और व्यावसायिक पुनर्वास-बौद्धिक दिव्यांगता (डीवीआर-आईडी) में डिप्लोमा शुरू किए हैं। कुछ मुख्य सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ केयर गिविंग (देखरेख करने) में एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम भी शुरू किया है

एनआईएमएचआर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों वाले लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख नैदानिक/पुनर्वास सेवाएं:-

क. मनोरोगी नैदानिक मूल्यांकन और परीक्षण।
ख. न्यूरोसाइकोलॉजिकल मूल्यांकन।

ग. मनोवैज्ञानिक शिक्षा।

घ. मार्गदर्शन और परामर्श।

ङ. विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मनोरोग चिकित्सा उपचार।

च. अन्य आउटरीच (पहुंच संबंधी) और जागरूकता सेवाएं ।

छ. समुदाय आधारित पुनर्वास ।

ज. मनोरोगी सामाजिक पुनर्वास।

(ग): सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के तहत राष्ट्रीय संस्थानों के आउटरीच केंद्रों/विस्तारित शाखाओं के रूप में 25 समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) को अनुमोदित किया है और उनकी संचालनात्मक (आपरेशनल) स्थिति अनुबंध- II में दशाई गई है।

(घ): राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) के कार्य निष्पादन की निगरानी संबंधित राष्ट्रीय संस्थान की कार्यकारी परिषद और सामान्य परिषद द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, एनआई/सीआरसी के कार्य निष्पादन की समीक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर अपनी समीक्षा बैठकों और एनआई की वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है ।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 06.02.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 514 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दिव्यांगजनों की कुल संख्या
1	जम्मू और कश्मीर	361153
2	हिमाचल प्रदेश	155316
3	पंजाब	654063
4	चंडीगढ़	14796
5	उत्तराखंड	185272
6	हरियाणा	546374
7	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	234882
8	राजस्थान	1563694
9	उत्तर प्रदेश	4157514
10	बिहार	2331009
11	सिक्किम	18187
12	अरुणाचल प्रदेश	26734
13	नागालैंड	29631
14	मणिपुर	58547
15	मिजोरम	15160
16	त्रिपुरा	64346
17	मेघालय	44317
18	असम	480065
19	पश्चिम बंगाल	2017406
20	झारखंड	769980
21	ओडिशा	1244402
22	छत्तीसगढ	624937
23	मध्य प्रदेश	1551931
24	गुजरात	1092302
25	दमन और दीव	2196
26	दादरा एवं नगर हवेली	3294
27	महाराष्ट्र	2963392
28	आंध्र प्रदेश (अविभाजित)	2266607
29	कर्नाटक	1324205
30	गोवा	33012
31	लक्षद्वीप	1615
32	केरल	761843
33	तमिलनाडु	1179963
34	पुदुचेरी	30189
35	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6660
	कुल	2,68,14,994

अनुबंध-II

सीआरसी का विवरण

क्र.सं.	समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान संचालनात्मक स्थिति
1.	सीआरसी, श्रीनगर	जम्मू एवं कश्मीर	संचालन
2.	सीआरसी, जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	संचालन
3.	सीआरसी, भोपाल	मध्य प्रदेश	संचालन
4.	सीआरसी, छतरपुर	मध्य प्रदेश	संचालन
5.	सीआरसी, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	संचालन
6.	सीआरसी, गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	संचालन
7.	सीआरसी, गुवाहाटी	असम	संचालन
8.	सीआरसी, सुंदरनगर	हिमाचल प्रदेश	संचालन
9.	सीआरसी, पटना	बिहार	संचालन
10.	सीआरसी, अहमदाबाद	गुजरात	संचालन
11.	सीआरसी, कोझिकोड	केरल	संचालन
12.	सीआरसी, राजनंदगांव	छत्तीसगढ़	संचालन
13.	सीआरसी, नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	संचालन
14.	सीआरसी, दावणगेरे	कर्नाटक	संचालन
15.	सीआरसी, नागपुर	महाराष्ट्र	संचालन
16.	सीआरसी, अगरतला	त्रिपुरा	संचालन
17.	सीआरसी, नाहरलाघुन	अरुणाचल प्रदेश	संचालन होना बाकी है
18.	सीआरसी, रांची	झारखंड	संचालन
19.	सीआरसी, बलांगीर	ओडिशा	संचालन
20.	सीआरसी, गंगटोक	सिक्किम	संचालन
21.	सीआरसी, पोर्टब्लेयर	अंडमान और निकोबार	संचालन
22.	सीआरसी, शिलांग	मेघालय	संचालन
23.	सीआरसी, इंफाल	मणिपुर	संचालन
24.	सीआरसी. जयपुर	राजस्थान	संचालन होना बाकी है
25.	सीआरसी, मदुरै	चेन्नई	संचालन होना बाकी है

*****